RESERVE BANK OF INDIA

खण्ड I

आरबीआई के अधिकारियों के लिए मूल्यांकन उपकरण विकसित करने और डीसीडब्ल्यू आयोजित करने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)

निविदा संख्या: RBI/CAB PUNE/Estate/11/24-25/ET/838

1. कृषि बैंकिंग कॉलेज, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे इसके बाद बैंक कहा गया है) बैंक के ग्रेड बी (सीधी भर्ती) अधिकारियों के लिए विकास केंद्र कार्यशालाएं (डीसीडब्ल्यू) आयोजित करने में बैंक के लिए मूल्यांकन उपकरण विकसित करने और सहायता करने के लिए पात्र बोलीदाताओं (परामर्श फर्मों/कंपनियों) से गुणवत्ता-सह-लागत-आधारित चयन (क्यूसीबीएस) प्रणाली के तहत ई-मोड के माध्यम से बोली प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करता है।
2. केवल कंपनी अधिनियम या एलएलपी अधिनियम के तहत पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी या भारत में निगमित/पंजीकृत साझेदारी फर्म या अकादमिक और अनुसंधान संस्थान और सोसाइटियां इस आरएफपी में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

3. ई-निविदा दस्तावेज एमएसटीसी की वेबसाइट यानी https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर **28 जनवरी, 2025** को दोपहर में उपलब्ध होंगे। इस ई-निविदा को एमएसटीसी वेबसाइट अर्थात https://www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से अनिवार्य रूप से ऑनलाइन भरने/जमा करने की आवश्यकता है। ई-निविदा दाखिल करने और जमा करने की समय सीमा 14:00 बजे तक है। **7 मार्च, 2025** को। ई-टेंडर **7 मार्च, 2025** को 15:00 बजे खोला जाएगा। विक्रेताओं द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर विस्तृत दिशा-निर्देशों का उल्लेख निविदा अनुसूची (एसओटी) का अनुसरण करते हुए अनुलग्नक-I में किया गया है।

4. आरएफपी में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

खण्ड I	-	प्रस्तावों के लिए आमंत्रण (आईएफपी)
विभाग II	-	बोलीदाताओं को निर्देश (ITR)
विभाग III	-	अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी)
खंड IV	-	तकनीकी प्रस्ताव (टीपी) - प्रारूपों के साथ
खण्ड V	-	कार्यक्षेत्र

5. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. बैंक के संपर्क व्यक्ति का पता और विवरण निम्नानुसार है:

संचार के लिए पता:

प्राचार्य
कृषि बैंकिंग कॉलेज
भारतीय रिजर्व बैंक
विश्वविद्यालय रोड
पुणे- 411006

RESERVE BANK OF INDIA

व्यक्ति से संपर्क करें:
श्रीमती पूजा शर्मा
सहायक महाप्रबंधक
शैक्षणिक अनुभाग
फोन: +91-20-25582343
ईमेल: cabacademic@rbi.org.in

नियत कार्य	परिट्युलर
ई-निविदा सं.	**RBI/CAB PUNE/Estate/11/24-25/ET/838**
निविदा का तरीका	ई-टेंडरिंग सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II – वित्तीय बोली)
आरबीआई की वेबसाइट और खरीद पोर्टल में प्रकाशन के माध्यम से ई-निविदा के प्रकाशन की तिथि और समय	28 जनवरी, 2025 को 12:00 बजे से
पार्टियों के लिए उपलब्ध एनआईटी की तिथि और समय डाउनलोड करने के लिए	28 जनवरी, 2025 को 12:00 बजे से
ऑनलाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा खोलने की तिथि और समय https://www.mstcecommerce.com/eprocn	फ़रवरी 17, 2025 से 11:00 बजे से
प्री-बिड मीटिंग (हाइब्रिड मोड)	7 फरवरी, 2025 को 11:00 बजे से अकादमिक प्रभाग, कृषि बैंकिंग कॉलेज, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे और वीबेक्स पर
ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि और समय	मार्च 7, 2025 तक 14:00 घंटे
भाग I (तकनीकी बोली) खोलने की तिथि और समय	मार्च 7, 2025 पर 15:00 घंटे
भाग II के खुलने की तिथि और समय (वित्तीय बोली)	अलग से सूचित किया जाएगा
पोर्टल का पता	https://www.mstcecommerce.com/eprocn
एक वर्ष में कवर किए जाने वाले कर्मचारियों की अनुमानित संख्या	216 (लगभग)
निविदा का अनुमानित मूल्य	केवल रु. 35,00,000/- (पैंतीस लाख)

RESERVE BANK OF INDIA

खंड II: बोलीदाताओं को निर्देश (आईटीआर)

1. परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आरएफपी में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है और

अनुबंध के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

ए) **"लागू कानून"** का अर्थ है भारत में कानून का बल रखने वाले कानून और कोई अन्य उपकरण जैसा कि वे समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं और बल में हो सकते हैं।

ख) **"प्रस्ताव"** का अर्थ है बैंक द्वारा जारी आरएफपी के जवाब में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव।

ग) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ है प्रिंसिपल, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे-411006।

घ) **"समिति"** का अर्थ तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति है।

ई) "**विक्रेता**" का अर्थ है इस आरएफपी के अनुसरण में बैंक द्वारा चुनी गई कोई भी संस्था, जो अनुबंध के तहत बैंक को उल्लिखित सेवाएं प्रदान करेगी।

च) **"अनुबंध"** का अर्थ है आरएफपी में निर्दिष्ट संपूर्ण दस्तावेज के साथ नियुक्ति के लिए पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध।

छ) **"दिन"** का अर्थ है कैलेंडर दिन।

ज) **"प्रभावी तिथि"** का अर्थ उस तारीख से है जिस पर अनुबंध लागू होता है और प्रभावी होता है।

i) **"आईएफपी"** का अर्थ है प्रस्तावों के लिए आमंत्रण, आरएफपी के खंड I में विनिर्दिष्ट।

j) **"ITR"** का अर्थ है बोलीदाताओं को अनुदेश, जो RFP की धारा II में निर्दिष्ट हैं।

k) **"GCC"** का अर्थ है अनुबंध की सामान्य शर्तें, जो RFP की धारा III में निर्दिष्ट हैं।

एल) **"कार्मिक"** का अर्थ है चयनित पार्टी द्वारा प्रदान किए गए पेशेवर और सहायक कर्मचारी और एक असाइनमेंट और उसके किसी भी हिस्से को निष्पादित करने के लिए सेवाएं करने के लिए सौंपा गया।

ड) **"सेवाएं"** का अर्थ बैंक के लिए चयनित इकाई द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य और बैंक द्वारा उन्हें दिए गए समनुदेशन के अनुसरण में पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध है।

RESERVE BANK OF INDIA

2. प्रस्तावना

बैंक का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के तहत किया गया है। इसके देश भर में कार्यालय हैं। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) बैंक और अन्य विनियमित संस्थाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1969 में बैंक द्वारा स्थापित एक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। कॉलेज वित्तीय क्षेत्र की क्षमता निर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित करता है। कॉलेज द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक बैंक के ग्रेड बी सीधी भर्ती (ग्रेड बी डीआर) के लिए विकास केंद्र कार्यशाला (डीसीडब्ल्यू) है। यह कॉलेज में आयोजित तीन दिनों की गहन कार्यशाला है जिसमें प्रतिभागियों का मूल्यांकन विभिन्न अभ्यासों के दौरान योग्य मूल्यांकनकर्ताओं के एक पूल द्वारा किया जाता है। कार्यशाला के अंत में, प्रतिभागियों को दक्षताओं के एक सेट पर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दी जाती है और उन्हें अपने लिए एक व्यक्तिगत विकास योजना तैयार करने में सहायता की जाती है। पिछले छह वर्षों के दौरान, 336 अधिकारियों ने 23 डीसीडब्ल्यू में सीएबी में डीसीडब्ल्यू की परीक्षा ली है। (कोविड के कारण 2020-2022 के दौरान कोई डीसीडब्ल्यू आयोजित नहीं किया गया)

3. सेवा आवश्यकताएँ

बैंक को मूल्यांकन उपकरण विकसित करने और सीएबी में ग्रेड 'बी' इन-पर्सन/फिजिकल मोड में अपने सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए विकास केंद्र कार्यशाला (इसके बाद डीसीडब्ल्यू के रूप में संदर्भित) आयोजित करने में बैंक की सहायता करने के लिए एक पात्र संस्था की सेवाओं की आवश्यकता है, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ:

3.1 असाइनमेंट के उद्देश्य

आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बैंक ने व्यवहार संबंधी दक्षताओं को अलग करने का एक सेट तैयार किया है जो विभिन्न लक्षित भूमिकाओं में बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं। इसलिए, असाइनमेंट का उद्देश्य है:

क) मूल्यांकन उपकरण विकसित करना और बैंक में डीसीडब्ल्यू का संचालन करना ताकि इसके सीधी भर्ती अधिकारियों की लक्षित भूमिका के लिए तैयार की गई दक्षताओं का मूल्यांकन और विकास किया जा सके। डीसीडब्ल्यू को इन चिन्हित दक्षताओं के खिलाफ प्रतिभागियों की योग्यता रूपरेखा प्रदान करनी है।

ख) अधिकारियों की पहचान की गई दक्षताओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, जो उनके लिए विकास कार्य योजना तैयार करने के लिए एक इनपुट के रूप में कार्य करेगा।

ग) उक्त रिपोर्ट में अधिकारियों की योग्यता प्रोफाइल, उन शक्तियों की सूची पर एक विस्तृत प्रस्तुति शामिल होनी चाहिए जिन्हें उन्हें बनाए रखने या विकसित करने की आवश्यकता है, और कमजोरियों को सुधारने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में व्यवहार संबंधी घटना साक्षात्कार (बीईआई) के दौरान चर्चा किए जाने वाले प्रमुख पहलुओं (डीसीडब्ल्यू टिप्पणियों के आधार पर) को भी इंगित करना चाहिए।

घ) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ बैंक के आंतरिक निर्धारकों के लिए मूल्यांकन और विकास केंद्र (एडीसी) प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना:

- DCW उपकरणों, तकनीकों और कार्यप्रणाली का गहन ज्ञान प्रदान करना
- व्यवहार रूप से एंकर्ड रेटिंग स्केल (बीएआरएस) और विभिन्न मूल्यांकन उपकरण (प्रभावी बीईआई आयोजित करने सहित) का उपयोग करके डीसीडब्ल्यू प्रतिभागियों का आकलन करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना
- विश्व स्तर पर अपनाई गई मूल्यांकन तकनीक- ORCE (निरीक्षण, रिकॉर्ड, वर्गीकृत, मूल्यांकन) का उपयोग करके DCW प्रतिभागियों का आकलन करने में कौशल का निर्माण करना।
- प्रतिभागी (ओं) के मूल्यांकन विवरण को समेटने और योग्यता-वार और उपकरण-वार साक्ष्य और निष्कर्ष बनाने की क्षमता का निर्माण करना, और प्रतिभागी (योग्यता रिपोर्ट) की सारांश रिपोर्ट बनाना
- प्रतिभागियों को विशिष्ट और वस्तुनिष्ठ वन-टू-वन फीडफॉरवर्ड प्रदान करने में मूल्यांकनकर्ताओं की मदद करना
- प्रतिभागियों को समय सीमा के साथ एक कार्य योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

3.2 हितों का टकराव

बैंक की अपेक्षा है कि चयनित संस्था पेशेवर, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष सेवाएं प्रदान करे और हमेशा बैंक के हितों को सर्वोपरि रखे, अन्य असाइनमेंट / नौकरियों या उनके कॉर्पोरेट हितों के साथ टकराव से सख्ती से बचें और भविष्य के काम के लिए किसी भी विचार के बिना कार्य करें।

3.3 प्रस्तावों की वैधता

प्रस्ताव आरएफपी में निर्धारित प्रस्ताव खोलने की तारीख के बाद 90 (नब्बे) दिनों के लिए वैध रहेंगे। अल्प अवधि के लिए वैध प्रस्ताव को उत्तरदायी न होने के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है । बैंक प्रस्ताव वैधता के विस्तार के लिए बोलीदाताओं की सहमति मांग सकता है (लेकिन प्रस्तावों में किसी भी संशोधन के बिना)।

3.4 प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार

बैंक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध देने से पहले किसी भी समय सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीदाता (ओं) के लिए कोई दायित्व नहीं है या प्रभावित बोलीदाता (ओं) को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं है।

3.5 धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार

बैंक को आवश्यकता है कि इस आरएफपी के माध्यम से चयनित इकाई को इस तरह के अनुबंध के प्रदर्शन और निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए।

इस नीति के अनुसरण में, बैंक:

ए) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, निम्नानुसार निर्धारित शर्तों को परिभाषित करता है:

i **"भ्रष्ट आचरण"** का अर्थ है अनुबंध निष्पादन में बैंक या विक्रेता (ओं) के किसी भी कर्मचारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्य की किसी भी चीज की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना।

ii **"कपटपूर्ण व्यवहार"** का अर्थ है बैंक को खरीद प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत प्रस्तुति, और इसमें बोलीदाताओं के बीच मिलीभगत का अभ्यास शामिल है (प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) कृत्रिम रूप से उच्च या गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर प्रस्ताव मूल्य स्थापित करने और बैंक को स्वतंत्र और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

iii **"अनुचित व्यापार व्यवहार"** का अर्थ है बैंक द्वारा दिए गए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या आदेश से भिन्न सेवाओं की आपूर्ति।

iv **"जबरदस्ती प्रथाओं"** का अर्थ है अनुबंध के निष्पादन में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तियों या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।

ख) पुरस्कार के लिए एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा, यदि यह निर्धारित करता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित इकाई, बैंक द्वारा भ्रष्ट, धोखाधड़ी, जबरदस्ती प्रथाओं या अनुचित व्यापार प्रथाओं में लगी हुई है।

ग) किसी भी इकाई को अयोग्य घोषित करेगा, या तो अनिश्चित काल तक या समय की एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, अनुबंध देने के लिए, यदि यह किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि इकाई भ्रष्ट, धोखाधड़ी, जबरदस्त प्रथाओं या अनुचित व्यापार व्यवहार में लगी हुई है, या निष्पादित करने में, अनुबंध या अखंडता समझौते का उल्लंघन करता है।

4. आरएफपी दस्तावेज के स्पष्टीकरण और संशोधन

4.1 आरएफपी स्पष्टीकरण

प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, बैंक अपने विवेक से, बोलीदाताओं से उनके प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। बोलीदाताओं को बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब देना अपेक्षित है।

4.2 आरएफपी में संशोधन

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, बैंक किसी भी कारण से आरएफपी को संशोधित कर सकता है। बोलीदाताओं को ईमेल के माध्यम से संशोधनों के बारे में सूचित किया जाएगा और इस तरह के संशोधन उन पर बाध्यकारी होंगे।

5. विक्रेता के चयन के लिए प्रक्रिया

प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) का उद्देश्य बैंक को मूल्यांकन उपकरण विकसित करने और अपने अधिकारियों के लिए डीसीडब्ल्यू कार्यशालाएं आयोजित करने में सहायता करने के लिए एक इकाई की नियुक्ति करना है। इस आरएफपी के अनुसरण में प्राप्त प्रत्युत्तरों का मूल्यांकन इस दस्तावेज में विनिदष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा और बोलीदाताओं में से एक विक्रेता की नियुक्ति की जाएगी। सभी पात्र संस्थाओं को विस्तृत प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के आधार पर असाइनमेंट निष्पादित करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

6. पात्रता

क) आरएफपी का जवाब देने के लिए यह आमंत्रण अनुबंध-II में तकनीकी मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार कम से कम 35 अंक प्राप्त करने वाली सभी पात्र परामर्श फर्मों/कंपनियों के लिए खुला है (प्रस्तुति अंकों को छोड़कर कुल 70 अंकों में से)।

b) विक्रेता को असाइनमेंट के लिए छह मूल्यांकनकर्ता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। विक्रेता को समनुदेशन के लिए प्रस्तावित इन छह निर्धारकों द्वारा निपटाए गए मूल्यांकन/विकास केन्द्र से संबंधित परामर्शी कार्यों की कुल संख्या की सूची के साथ-साथ उनकी योग्यता और अनुभव से संबंधित विवरण भी प्रस्तुत करने होते हैं।

7. **अयोग्यता**

बैंक अपने विवेकाधिकार पर और प्रस्ताव के मूल्यांकन के दौरान किसी भी समय किसी भी बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि बोलीदाता के पास:

क) प्रतिक्रिया की समय सीमा के बाद प्रस्ताव दस्तावेज प्रस्तुत किए;

बी) पात्रता आवश्यकताओं के प्रमाण में प्रस्तुत प्रपत्रों, बयानों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत प्रतिनिधित्व किया;

ग) एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो आवश्यक दस्तावेज के साथ नहीं है या गैर-उत्तरदायी है;

घ) मांगने पर उससे संबंधित स्पष्टीकरण प्रदान करने में विफल;

ई) भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं के लिए भारत सरकार / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अयोग्य घोषित या काली सूची में डाला गया;

च) मूल्य समायोजन/परिवर्तन प्रावधान के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

8. प्रस्ताव के लिए अनुरोध

विक्रेता से आरएफपी में दिए गए सभी अनुदेशों, दिशानिर्देशों, निबंधन और शर्तों तथा प्रारूपों की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। आरएफपी द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या प्रस्ताव प्रस्तुत करना जो आरएफपी के सभी पहलुओं के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं है, विक्रेता के अपने जोखिम पर होगा और अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

9. पूर्व-प्रस्ताव प्रश्न

संभावित बोलीदाता, जिसे आरएफपी पर किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, उसे लिखित प्रश्न के रूप में (ईमेल द्वारा) बैंक को cabacademic@rbi.org.in तक सूचित कर सकता है। बैंक की प्रतिक्रिया के साथ-

साथ मांगे गए स्पष्टीकरण (प्रश्न के स्पष्टीकरण सहित) **7 फरवरी, 2025** को सीएबी में प्री-बिड मीटिंग में प्रदान किए जाएंगे। बोली पूर्व बैठक में भौतिक/ऑनलाइन भाग लिया जा सकता है।

10. बयाना धन जमा (ईएमडी)/बोली प्रतिभूति

(i) बोलीदाताओं को **धारा III** में यथा विनिदष्ट तरीके से और राशि के लिए बयाना धनराशि जमा (ईएमडी)/बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित है.

ii) एक निविदा, जो ईएमडी के साथ नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को अग्रिम राशि वापस कर दी जाएगी यदि उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है लेकिन बिना किसी ब्याज के।

(iii) सफल बोलीदाता द्वारा अदा की गई अग्रिम राशि निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर कार्य सौंपे जाने के बाद जारी की जाएगी। उक्त जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वित्तीय बोलियां खुलने के बाद वापस कर दी जाएगी।

(iv) किसी प्रतिष्ठान को ईएमडी जमा करने से कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है।

v) सफल बोलीदाता निर्धारित प्रारूप में संविदा मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से एक निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा, या ऑनलाइन मोड (एनईएफटी / आरटीजीएस) के माध्यम से पीबीजी के बराबर राशि जो काम पूरा होने तक वैध होगी। (विवरण अनुबंध VI में दिया गया है)। पीबीजी को संविदा प्रदान किए जाने के 14 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना होता है, ऐसा न करने पर उद्ग्रहीत की जाने वाली अवधि के बाद निष्पादन गारंटी राशि का @01% प्रति दिन विलंब शुल्क।

11. प्रस्ताव तैयार करना

निविदादाता प्रस्ताव तैयार करने के दौरान निम्नलिखित संबंधित सूचना का अनुपालन करेंगे

ए) प्रस्ताव और सभी संबद्ध पत्राचार अंग्रेजी में लिखे जाएंगे और निर्धारित प्रारूपों के अनुरूप होंगे। कोई भी इंटरलाइन, इरेज़र या ओवर राइटिंग केवल तभी मान्य होगी जब वे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति द्वारा शुरू किए गए हों।

ख) प्रस्ताव अमिट स्याही (यदि आवश्यक हो) में टाइप या लिखा जाएगा और बोलीदाता को अनुबंध से बांधने के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता या विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

ग) विक्रेताओं को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद इसे संशोधित करने, प्रतिस्थापित करने या वापस लेने की अनुमति नहीं है।

12. प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण, प्राप्तियां और उद्घाटन

विक्रेता एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। तथापि, प्रस्ताव के मूल्यांकन के दौरान और संविदा की अवधि के दौरान मूल्यांकन समिति को तथ्यों को समझने के लिए संगत तरीके से समुचित सावधानी बरतने का अधिकार है।

12.1. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा

बोलीदाताओं से सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव एमएसटीसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

RESERVE BANK OF INDIA

प्रस्ताव **जमा करने की अंतिम तिथि: 7 मार्च, 2025 (14.00 बजे)**

12.2 धारा IV में दिए गए प्रस्ताव के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

12.2.1 प्रपत्र I : प्रस्ताव प्रपत्र

फॉर्म I में विक्रेता की नियुक्ति के लिए कवरिंग लेटर।

12.2.2 प्रपत्र II: प्रस्ताव - सामान्य जानकारी

बोलीदाता की सामान्य जानकारी जैसा कि फॉर्म II में निर्दिष्ट है।

कोई अन्य सहायक जानकारी जो प्रस्ताव के लिए प्रासंगिक है।

12.2.3 प्रपत्र III: तकनीकी प्रस्ताव

- फॉर्म III में निर्दिष्ट तकनीकी प्रस्ताव।
- कोई अन्य सहायक जानकारी और दस्तावेज जो तकनीकी प्रस्ताव के लिए प्रासंगिक हैं।

12.3 तकनीकी बोली

तकनीकी मूल्यांकन: तकनीकी प्रस्ताव उन सभी संस्थाओं के लिए खोले जाएंगे जिन्होंने बोलियां प्रस्तुत की होंगी। तकनीकी मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर और वेटेज अनुबंध II में दिए गए अनुसार होंगे।

12.4 वाणिज्यिक बोली

वाणिज्यिक बोली कुल नियत घटक और परिवर्तनीय घटक होगी जैसा कि नीचे दिया गया है:

a) स्थिर घटक:

डिजाइनिंग की लागत के लिए अनुमानित राशि:

i. डीसीडब्ल्यू मूल्यांकन उपकरण जैसा कि आरएफपी में निर्दिष्ट है,

द्वितीय। व्यवहार संकेतक सहित व्यवहार रूप से एंकर्ड रेटिंग स्केल (BARS),

तृतीय. एक विकास केंद्र प्रशिक्षण मैनुअल, और

इन्ट्रावीनस। बैंक के 30 आंतरिक निर्धारकों (प्रत्येक 15 निर्धारकों तक के दो कार्यक्रम) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रत्येक कम से कम चार दिनों की अवधि) का संचालन करना और प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता के पहले पुनरावृत्ति के दौरान पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं को सहायता प्रदान करना।

बी) परिवर्तनीय घटक:

चयनित संस्था को बैंक द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित डीसीडब्ल्यू के लिए एक योग्य निर्धारक/मूल्यांकनकर्ता की सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी, सख्ती से आवश्यकता के आधार पर। यह अनुमान लगाया गया है कि बैंक को एक वर्ष में ऐसे 12 डीसीडब्ल्यू के लिए चयनित संस्था से योग्य निर्धारक/ओं की सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है (वास्तविक संख्या भिन्न हो सकती है)। ऐसे प्रत्येक डीसीडब्ल्यू को बैंक

परिसर में डीसीडब्ल्यू आयोजित करने के लिए तीन दिनों के लिए निर्धारक की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। ऐसे 12 डीसीडब्ल्यू के लिए, कुल 36 निर्धारक दिवसों के उपयोग की परिकल्पना की गई है। इसमें यात्रा का समय आदि शामिल नहीं है। डीसीडब्ल्यू के दौरान, कॉलेज में मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आवास और बोर्डिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रा व्यय चयनित इकाई द्वारा वहन किया जाएगा और प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। आवश्यकता के आधार पर डीसीडब्ल्यू के लिए मूल्यांकनकर्ता/एस प्रदान करने की लागत 12 डीसीडब्ल्यू (36 निर्धारक दिवस) के लिए दी जानी है।

वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन निश्चित घटक और परिवर्तनीय घटक के कुल योग पर आधारित होगा। वित्तीय उद्धरण भारतीय रुपये में होना चाहिए, और इसमें करों के अलावा प्रस्तावित सभी खर्च शामिल होने चाहिए।

12.5 वाणिज्यिक बोली मूल्यांकन:

वाणिज्यिक बोलियों पर केवल उन संस्थाओं के लिए विचार किया जाएगा जो प्रस्तुति को छोड़कर, तकनीकी मूल्यांकन में अधिकतम 70 अंकों में से न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करते हैं। कम स्कोर करने वाली किसी भी इकाई को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

13. मूल्यांकन:

13.1 तकनीकी बोली का मूल्यांकन विचारार्थ विषयों के प्रति उनकी जवाबदेही के आधार पर और आरएफपी में निर्दिष्ट मूल्यांकन मानदंडों को लागू करके किया जाएगा। मूल्यांकन के प्रथम चरण में, बोली की प्रतिक्रिया के लिए आरएफपी में दर्शाई गई आवश्यकता के अनुसार यदि बोली में कमी पाई जाती है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। तकनीकी बोली का मूल्यांकन पहले शुरू होगा और इस स्तर पर वित्तीय बोली अभी भी खुली नहीं रहेगी। मूल्यांकन के लिए केवल उत्तरदायी बोलियों को आगे लिया जाएगा। बोलियों का मूल्यांकन पात्रता मानदंड और इस आरएफपी के तहत अपेक्षित सभी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाएगा।

13.2. पात्र बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुति:

पात्र बोलीदाताओं द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति संबंधित बोलीदाताओं को सूचित की गई तारीख और स्थान पर आयोजित की जाएगी। प्रस्तुति तकनीकी बोली का हिस्सा होगी और तदनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। प्रस्तुति में मोटे तौर पर शामिल होंगे:

i. परियोजना के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की उपयुक्तता सहित संगठन और स्टाफिंग।
द्वितीय।मूल्यांकन उपकरण विकसित करने में अपनाई जाने वाली प्रस्तावित कार्यप्रणाली।
तृतीय.परियोजना के लिए प्रदान किए गए टेम्पलेट्स का प्रारूप
इन्ट्रावीनस।बोलीदाता द्वारा सुझाया गया कोई नया उपकरण
बहुत।संबंधित बोलीदाता के विभेदक

13.3 मूल्यांकन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) के तहत किया जाएगा। क्यूसीबीएस के तहत,तकनीकी बोलियों में तकनीकी पैरामीटर मूल्यांकन और प्रस्तुति शामिल होगी। निविदा की अनुसूची में निर्दिष्ट तिथि पर तकनीकी बोलियां ऑनलाइन खोली जाएंगी। कंपनियों/फर्मों को तकनीकी मूल्यांकन मानदंड (कुल 70 अंक) में न्यूनतम 35 अंकों के साथ अर्हता प्राप्त करनी होगी। योग्य कंपनियों/फर्मों को बैंक

द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित आंतरिक मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा। प्रेजेंटेशन 30 अंकों का होगा।
अर्हक कंपनियों/फर्मों की वाणिज्यिक बोलियां कंपनी/फर्म के एक/दो प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी और उसके बाद इस उद्देश्य के लिए गठित आंतरिक मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत की जाएंगी। सफल बोलीदाता पर अंतिम निर्णय तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाएगा जिसमें तकनीकी मापदंडों (प्रस्तुति सहित) और वाणिज्यिक बोलियों को क्रमशः 70% और 30% का वेटेज दिया जाएगा।

13.4 सबसे कम लागत वाली बोली को 30 का वित्तीय स्कोर दिया जा सकता है और अन्य बोलियों को वित्तीय स्कोर दिया जाएगा जो उनके मूल्य उद्धरणों के विपरीत आनुपातिक हैं। यदि सबसे कम बोली रुपये सी के लिए है, तो उसे 30 का स्कोर दिया जाएगा और अन्य बोलियों को दिए गए फॉर्मूले के आधार पर स्कोर दिया जाएगा:

वित्तीय स्कोर (FS) = (30/बोलीदाता का कोट) * C

13.5 तकनीकी (गुणवत्ता) और वित्तीय (लागत) अंकों को तौलकर और उन्हें जोड़कर कुल अंक मैन्युअल रूप से (ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं) प्राप्त/गणना की जाएगी।

कुल स्कोर = FS + (70/100) * तकनीकी स्कोर

13.6 उच्चतम बिंदु का आधार: गुणवत्ता और लागत के लिए संयुक्त भारित स्कोर के आधार पर, बोलीदाताओं को प्राप्त कुल स्कोर के अनुसार रैंक किया जाएगा। तकनीकी और वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन में उच्चतम कुल संयुक्त स्कोर प्राप्त करने वाली बोली को एस-1 के रूप में रैंक किया जाएगा, इसके बाद एस-2, एस-3 आदि के रूप में कम अंक प्राप्त करने वाली बोलियों को रैंक किया जाएगा। शीर्ष स्कोरर बोलीदाता (एस 1) काम के पुरस्कार के लिए पात्र होगा।

अंक और मूल्यांकन का एक नमूना गणना संदर्भ के लिए अनुलग्नक V के रूप में संलग्न है।

14. संविदा का अधिनिर्णय

संविदा प्रदान करने के प्रस्ताव की स्वीकृति पर, बैंक सफल बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करेगा कि उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। बैंक और सफल बोलीदाता अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संशोधन को छोड़कर अनुबंध की अवधि में कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया जाएगा। मसौदा अनुबंध फॉर्म IV के रूप में संलग्न है।

15. गोपनीयता

प्रस्तावों की जांच, स्पष्टीकरण और तुलना से संबंधित जानकारी किसी भी बोलीदाता या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी जो आधिकारिक तौर पर ऐसी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय जानकारी के किसी भी बोलीदाता द्वारा अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप प्रस्ताव की अस्वीकृति हो सकती है।

बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर परियोजना के निष्पादन के दौरान, विक्रेता और उसके कर्मचारी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति या संस्था को अनुबंध के दौरान अर्जित गोपनीय जानकारी नहीं देंगे।

16. महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013

क) विक्रेता "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत विक्रेता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी। विक्रेता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। *
ख) विक्रेता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।
ग) विक्रेता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे उस घटना में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है जिसमें विक्रेता के कर्मचारी शामिल हैं, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि विक्रेता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।
d) विक्रेता कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
ङ) विक्रेता आर अपने उन कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर के भीतर तैनात हैं।

17. बीमा

संविदा पर हस्ताक्षर करते समय और कार्य प्रारंभ करते समय, जैसा लागू हो, विक्रेता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी लागत पर उचित मूल्य के लिए केवल भारत में कार्यरत बीमा कंपनी से जारी सभी आवश्यक और संगत बीमा कवर प्राप्त करे और जो संविदा अवधि के अंत तक वैध रहेगा, जैसा कि अपेक्षाओं के लिए लागू हो लेकिन इन तक सीमित न हो:

परियोजना के निष्पादन के दौरान किसी भी चोट/संपत्ति की क्षति के लिए वाणिज्यिक सामान्य दायित्व।

उपर्युक्त पॉलिसी पहले बैंक के नाम का उल्लेख करते हुए संयुक्त नामों में होगी और काम शुरू करने से पहले इसकी एक प्रति बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।

RESERVE BANK OF INDIA

धारा III: अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

1. आवेदन

ये सामान्य शर्तें इस हद तक लागू होंगी कि अनुबंध के अन्य हिस्सों में प्रावधान उनका स्थान नहीं लेते हैं। आरएफपी या अनुबंध समझौते में किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, बैंक की व्याख्या अंतिम और विक्रेताओं पर बाध्यकारी होगी।

2. पार्टियों के बीच संबंध

इसमें उल्लिखित किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह मालिक और नौकर का या प्रधान और अभिकर्ता का संबंध है जैसा कि 'बैंक' और 'विक्रेता' के बीच है। इस संविदा के अधीन विक्रेता के पास परियोजना के अंतर्गत सेवाएं निष्पादित करने में अपने कामकों का पूरा प्रभार है। विक्रेता उनके द्वारा या उनकी ओर से की गई सेवाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

3. प्रदर्शन के मानक

विक्रेता सेवाओं का निष्पादन करेगा और अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को सामान्य रूप से स्वीकृत पेशेवर मानकों और प्रथाओं के अनुसार उचित परिश्रम, दक्षता और अर्थव्यवस्था के साथ पूरा करेगा। विक्रेता हमेशा इस अनुबंध से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में बैंक के वफादार सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। विक्रेता तीसरे पक्ष के साथ किसी भी व्यवहार में हमेशा बैंक के वैध हितों का समर्थन और सुरक्षा करेगा। विक्रेता देश में प्रचलित सभी प्रावधानों/अधिनियमों/नियमों का पालन करेगा। विक्रेता आरएफपी में निर्धारित मानकों को समग्रता में पूरा करेगा।

4. लागू कानून

लागू कानून का अर्थ है भारत में कानून के बल वाले कानून और किसी भी अन्य उपकरण के रूप में उन्हें समय-समय पर जारी किया जा सकता है और बल दिया जा सकता है। अनुबंध की व्याख्या भारत संघ के कानूनों के अनुसार की जाएगी।

5. बौद्धिक संपदा अधिकार

अनुबंध के तहत कवर की गई कोई भी सेवा विक्रेता द्वारा तीसरे पक्ष के किसी भी अधिकार के उल्लंघन में बेची या निपटाई नहीं जाएगी, और विशेष रूप से, लेकिन पूर्वगामी की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, किसी भी पेटेंट अधिकार, ट्रेडमार्क या इसी तरह के अधिकार, या किसी भी शुल्क बंधक या ग्रहणाधिकार की। विक्रेता बैंक को सभी कार्यों, लागतों, दावों, मांगों, खर्चों और देनदारियों से क्षतिपूर्ति करेगा, जो भी पूर्वोक्त के रूप में किसी भी

वास्तविक या कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप और विक्रेता के खर्च पर, बैंक का बचाव किसी भी कार्यवाही के बचाव में किया जाएगा जो उस संबंध में लाया जा सकता है।

6. शासकीय भाषा

अनुबंध अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। अनुबंध का अंग्रेजी संस्करण इसकी व्याख्या को नियंत्रित करेगा। अनुबंध से संबंधित सभी पत्राचार और अन्य दस्तावेज, जो पार्टियों के बीच आदान-प्रदान किए जाते हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे।

7. प्रदर्शन आकलन

यह आरएफपी मूल्यांकन उपकरण विकसित करने और बैंक के सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए डीसीडब्ल्यू आयोजित करने में बैंक की सहायता के लिए विक्रेता की नियुक्ति के लिए है। यदि परियोजना के निष्पादन के दौरान, निम्नलिखित समस्याएं पाई गईं या देखी गईं, तो ऐसी प्रत्येक समस्या के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। भुगतान की जाने वाली राशि का 1% (अधिकतम 20% के अधीन) बैंक द्वारा लगाया जा सकता है, जो परियोजना विशिष्ट आरएफपी और संदर्भ की शर्तों का हिस्सा होगा:

क) सुपुर्दगी की गुणवत्ता निशान तक नहीं है, (जब तक गुणवत्ता में आवश्यक सीमा तक सुधार नहीं किया जाता है)

b) डिलिवरेबल्स में देरी

c) समय पर पर्याप्त और/या उपयुक्त रूप से योग्य संसाधन नहीं देना

d) आवश्यक होने पर भी समर्पित आधार पर संसाधनों को शामिल नहीं करना

e) ऐसे संसाधन सौंपना जो बैंक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं

च) सीएबी के साथ विलंबित या अपर्याप्त बातचीत।

छ) कार्य या तो पूरा नहीं हुआ है या अनुमोदित समय अनुसूची या सुपुर्दगी की गुणवत्ता के अनुसार संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हुआ है।

8. अनुबंध वैधता और विस्तार

संविदा चयनित विक्रेता और बैंक द्वारा संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रारंभ होगी। विक्रेता की नियुक्ति प्रारंभ में 12 महीनों के लिए वैध होगी और वार्षिक समीक्षा और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर इसे दो बार 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। नवीनीकरण समान नियमों और शर्तों पर होगा

RESERVE BANK OF INDIA

9. बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति

परियोजना के निष्पादन के दौरान गैर-निष्पादन के कारण बैंक द्वारा अनुबंध की समाप्ति

- परियोजना की समय-सीमा का पालन न करना
- कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है

10. विवादों का समाधान

यदि पार्टियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अनुबंध के तहत विवाद के समाधान के लिए दो तरीके होंगे।

10.1 सौहार्दपूर्ण समझौता

संविदा का निष्पादन संविदा के निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होता है, तथापि, कभी-कभी कार्य के दायरे, भुगतान के खंडों आदि सहित संविदा की किसी भी शर्त अथवा निबंधन की किसी व्याख्या के बारे में विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में अनुबंध का कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को विवाद की लिखित सूचना भेज सकता है। विवाद की सूचना प्राप्त करने वाला पक्ष नोटिस पर विचार करेगा और प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में इसका जवाब देगा। यदि वह पक्ष 30 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, या उस पक्ष की प्रतिक्रिया के बाद 60 दिनों के भीतर विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता है, तो जीसीसी का खंड 10.2 लागू होगा।

10.2 विवाद समाधान:

बैंक और विक्रेता आपसी विचार-विमर्श और बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को हल करने का प्रयास करेंगे। इस घटना में कि इस तरह के प्रयास विफल हो जाते हैं, या तो पार्टी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकती है, पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत एकमात्र मध्यस्थ द्वारा आयोजित किया जाना है. एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपसी समझौते के अभाव में, विवाद को तीन मध्यस्थों के एक पैनल को भेजा जाएगा. प्रत्येक पार्टी एक मध्यस्थ नियुक्त करेगी, और दो नियुक्त मध्यस्थ संयुक्त रूप से एक तीसरे मध्यस्थ को नामित करेंगे, जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा. मध्यस्थता कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता के लिए सीट और स्थान पुणे, भारत होगा, और कार्यवाही की भाषा, पार्टियों के बीच आदान-प्रदान किए गए सभी दस्तावेजों और संचार सहित, अंग्रेजी होगी।

11. कानूनी क्षेत्राधिकार

पक्षकारों के बीच सभी कानूनी विवाद केवल पुणे में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

12. भुगतान की शर्तें

RESERVE BANK OF INDIA

बैंक स्रोत पर लागू करों की कटौती के बाद चयनित विक्रेता को सहमत व्यावसायिक शुल्क का भुगतान जारी करेगा, जिसके लिए बैंक द्वारा चुने गए / चयनित विक्रेता के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। नियत घटक के लिए भुगतान समनुदेशन के पूरा होने पर किया जाएगा ।
परिवर्तनीय घटक के लिए भुगतान कार्य पूरा होने के बाद बीजक जारी किए जाने के एक माह के भीतर ऐसी सेवाओं का उपयोग किए जाने पर किया जाएगा। कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
विक्रेता प्रत्येक तिमाही के लिए डीसीडब्ल्यू/प्रशिक्षण पूरा होने के बाद तिमाही आधार पर बीजक जारी करेगा।

13. बयाना धन जमा (ईएमडी)

एनईएफटी के रूप में ₹70,000/- का ईएमडी नियत तिथि 7 मार्च, 2025 को या उससे पहले और दोपहर 12:00 बजे तक होगा। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।
लेनदेन संख्या और अन्य विवरणों को दर्शाने वाले प्रेषण का प्रमाण अन्य निविदा दस्तावेजों के साथ बैंक के अनुमोदित ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

<u>एनईएफटी विवरण</u>
ईएमडी के लिए - करने के लिए बैंक खाते का विवरण
कंपनी का नाम: कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पुणे
पता (पूर्ण रूप से): कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, भारतीय रिज़र्व बैंक
यूनिवर्सिटी रोड, - 016

1	खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दिखाई दे रहा है))	कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे
2	**खाता संख्या**	**8614038**
3	खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि.)	प्रवाह
4	**पैन नंबर**	**एएआईएफआर 5286एम**
5	बैंक का नाम	**भारतीय रिजर्व बैंक**
6	शाखा का नाम	टैक्सी, पुणे
7	बैंक का पता	सीएबी, आरबीआई, यूनिवर्सिटी रोड, पुणे
8	**एनईएफटी/आईएफएस कोड**	**RBIS0PUPA01 (कोड में 0 शून्य का प्रतिनिधित्व करता है)**
9	खाते का नाम	**विविध जमा खाता/-**
10	जीएसटी नंबर	27AAIFR5286M1ZG

RESERVE BANK OF INDIA

खंड IV: तकनीकी प्रस्ताव (टीपी) - प्रारूप

1. भारतीय रिज़र्व बैंक विक्रेताओं से एक विक्रेता की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के लिए निर्धारण उपकरण विकसित करने और डीसीडब्ल्यू का संचालन करने में बैंक की सहायता करने के लिए असाइनमेंट करने के लिए शामिल होगा।

2. मूल्यांकन उपकरण विकसित करने और डीसीडब्ल्यू के संचालन में बैंक की सहायता के लिए विक्रेताओं का चयन मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

प्रतिक्रिया प्रारूप

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विक्रेताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिक्रिया प्रारूप निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	रूप	ब्यौरा
1	फॉर्म I	**प्रपोज़ल फॉर्म** प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कवरिंग लेटर
2	फॉर्म II	**सामान्य जानकारी**
3	फॉर्म III	**तकनीकी प्रस्ताव**
4	फॉर्म IV	**अनुबंध समझौता** मसौदा अनुबंध समझौता

RESERVE BANK OF INDIA

A. प्रस्ताव प्रपत्र

बोलीदाताओं को **फॉर्म I** में कवरिंग पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह फॉर्म बोलीदाताओं के लेटर हेड पर होना चाहिए, जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

फॉर्म I: कवरिंग लेटर (वेंडर के लेटरहेड पर)

खजूर:
तक
प्रिंसिपल
कृषि बैंकिंग कॉलेज
भारतीय रिजर्व बैंक
विश्वविद्यालय रोड
पुणे- 411006

श्रीमान

विषय: मूल्यांकन उपकरण विकसित करने और डीसीडब्ल्यू के संचालन के लिए विक्रेता की नियुक्ति का प्रस्ताव

1) आरएफपी के अनुदेशों, नियमों और शर्तों की जांच करने और समझने के बाद, हम, अधोहस्ताक्षरी, उक्त आरएफपी के पूर्ण अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ असाइनमेंट करने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

2) हमने आरएफपी के प्रावधानों को पढ़ा है और पुष्टि करते हैं कि ये हमें स्वीकार्य हैं। हम आगे घोषणा करते हैं कि हमारे प्रस्ताव में पाई गई अतिरिक्त शर्तों, भिन्नताओं, विचलनों, यदि कोई हो, को प्रभावी नहीं किया जाएगा।

3) हम इस प्रस्ताव का पालन करने के लिए सहमत हैं, जिसमें यह पत्र, तकनीकी प्रस्ताव, विधिवत नोटरीकृत लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी और सभी संलग्नक शामिल हैं, आरएफपी में निर्धारित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए और अनुबंध वार्ता के परिणामस्वरूप संशोधन, और यह हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा और उस अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय आपके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

4) जब तक औपचारिक अंतिम अनुबंध तैयार नहीं किया जाता है और हमारे बीच निष्पादित किया जाता है, तब तक यह प्रस्ताव, प्रस्ताव की आपकी लिखित स्वीकृति और पुरस्कार की आपकी अधिसूचना के साथ, हमारे बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगा।

5) हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि इस प्रस्ताव में दी गई सभी जानकारी और कथन सत्य हैं और स्वीकार करते हैं कि इसमें निहित कोई भी गलत व्याख्या हमारी अयोग्यता का कारण बन सकती है।

6) हम समझते हैं कि आप प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

दस्तख़त
की क्षमता में.....
के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत
और की ओर से.....
दिनांक.....
स्थान.....

B. प्रस्ताव प्रारूप - सामान्य जानकारी

बोलीदाताओं को निम्नलिखित फॉर्म में अपना प्रोफाइल प्रस्तुत करना आवश्यक है:

फॉर्म II: सामान्य जानकारी

क. पात्रता (कृपया बताइये) क.
फर्म/कंपनी;
B. नाम

C. संपर्क

a. पता

b. टेलीफोन नंबर

c. फैक्स

d. मोबाइल

e. ईमेल

च. वेबसाइट

D. कार्यालय के स्थान और पते

a. भारतीय

b. प्रवासी

RESERVE BANK OF INDIA

दस्तख़त देखिए.....

की क्षमता में.....

के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत

और की ओर से.....

दिनांक.....
स्थान.....

C. तकनीकी प्रस्ताव प्रारूप

बोलीदाताओं को अपने तकनीकी प्रस्ताव निम्नलिखित प्रपत्र में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:

फॉर्म III: कार्य संबंधी विवरण

बोलीदाताओं से निम्नलिखित प्रकार की जानकारी मांगी जाती है:

1) प्रस्तावित कार्यप्रणाली

प्रस्तावित दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली, डीसी और अंतिम रिपोर्ट के संचालन के लिए उपकरण:

क. डीसी के लिए उपकरणों/उपकरणों का डिजाइन
b. अंतिम रिपोर्ट और व्यक्तिगत रिपोर्ट
ग. डीसी प्रशिक्षण पुस्तिका का डिजाइन
घ. बैंक के आंतरिक मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एडीसी प्रशिक्षण और/या कार्यक्रम का संचालन

[डीसी के संचालन से संबंधित असाइनमेंट निष्पादित करने के लिए दृष्टिकोण, विधियों और उपकरणों का विवरण प्रदान करें]

2) मूल्यांकनकर्ताओं की प्रोफाइल (6 मूल्यांकनकर्ता)

टीम के मूल्यांकनकर्ताओं की प्रोफाइल जो असाइनमेंट / परियोजनाओं को निष्पादित करने में शामिल होंगे

प्रोफ़ाइल में सारणीबद्ध रूप में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

a) नाम
b) संगठन में शामिल होने की तिथि
ग) व्यावसायिक पृष्ठभूमि

d) प्रमाणपत्र
ई) पेशेवर / डोमेन अनुभव का सारांश
च) महत्वपूर्ण उपलब्धि

3) एसी/डीसी का विवरण

01 अप्रैल, 2023 से 31 मई, 2024 के दौरान आयोजित एसी/डीसी का विवरण।

तकनीकी मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए जानकारी अनुबंध III। के अनुसार प्रारूप में प्रस्तुत की जा सकतीहै.

दस्तख़त.....

की क्षमता में.....

के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत

और की ओर से.....

दिनांक.....
स्थान.....

RESERVE BANK OF INDIA

फॉर्म IV:

अनुबंध समझौता

यह समझौता ..... पर किया जाता है **रिज़र्व बैंक** के बीच 2024 का दिन

(क) क्या यह सच है कि भारत **सरकार (**इसके बाद **बैंक** कहा गया है) के एक भाग पर भारत सरकार (जिसे इसके बाद बैंक कहा गया **है**) और .....

…….……..…… (विक्रेता का नाम) (इसके बाद कहा जाता है

"विक्रेता") दूसरी ओर पर:

जबकि

क) बैंक चाहता है कि पैनलबद्ध विक्रेता को भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के लिए निर्धारण उपकरण विकसित करने और डीसीडब्ल्यू का संचालन करने में बैंक की सहायता करने के लिए परियोजनाओं/असाइनमेंट को निष्पादित करना चाहिए।

ख) बैंक को यह अभ्यावेदन देने वाला कि उसके पास अपेक्षित व्यावसायिक कौशल, कार्मिक और तकनीकी संसाधन हैं, विक्रेता इस संविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

अब यह समझौता इस प्रकार है:

1. इस समझौते में शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः आरएफपी में उन्हें सौंपे गए हैं।

2. मूल्यांकन उपकरण विकसित करने और विकास केंद्रों (डीसी) के संचालन में बैंक की सहायता करने के लिए विक्रेताओं के चयन के लिए जारी किए गए प्रस्तावों के अनुरोध के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों को इस समझौते के हिस्से के रूप में बनाया और पढ़ा और समझा जाएगा:

   a) प्रस्तावों के लिए आमंत्रण

   ख) बोलीदाताओं को अनुदेश

   ग) अनुबंध की सामान्य शर्तें

   घ) प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दौरान विक्रेता द्वारा प्रस्तुत सभी प्रारूप और दस्तावेज

   e) पुरस्कार की अधिसूचना

च) आरएफपी में वर्णित कार्य का दायरा

3. संविदा चयनित विक्रेता और बैंक द्वारा संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रारंभ होगी।

   विक्रेता की नियुक्ति प्रारंभ में 12 महीनों के लिए वैध होगी और वार्षिक समीक्षा और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर इसे दो बार 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। नवीनीकरण समान नियमों और शर्तों पर होगा।

4. बैंक यह अपेक्षा करता है कि विक्रेता व्यावसायिक, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष सलाह प्रदान करे और बैंक के हित को हमेशा सर्वोपरि रखे, अन्य समनुदेशन/नौकरियों, डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं या अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों के साथ टकराव से सख्ती से बचे और भविष्य के कार्य के लिए किसी भी विचार के बिना कार्य करे। विक्रेता को अपनी तकनीकी बोलियों के साथ अविरोध विवरण भी प्रस्तुत करना होता है।

5. बैंक और विक्रेता के पारस्परिक अधिकार और दायित्व संविदा में विशेष रूप से निर्धारित किए गए अनुसार होंगे:

   क) विक्रेता संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार सेवाएं प्रदान करेगा; और

   बी) बैंक की संतुष्टि के लिए सेवा के सफल समापन पर बैंक वित्तीय बोली के अनुसार उद्धृत दरों के अनुसार और अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार विक्रेता को भुगतान करेगा।

6. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 के अनुसार समझौते के संबंध में स्टांप शुल्क का भुगतान विक्रेता द्वारा किया जाएगा।

जिसके साक्षी में, पार्टियों ने इस अनुबंध को अपने संबंधित नामों में हस्ताक्षरित करने का कारण बना दिया है, जैसा कि ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष के रूप में किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए और उसकी ओर से [प्राधिकृत प्रतिनिधि]

के लिए और की ओर से [विक्रेता का नाम]

[अधिकृत प्रतिनिधि]

[नोट: यदि विक्रेता में एक से अधिक निकाय हैं, तो इन सभी संस्थाओं को हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में दिखाई देना चाहिए]

RESERVE BANK OF INDIA

खंड V: कार्य का दायरा

A. स्थान

डिजाइन प्रक्रिया के दौरान विचार-विमर्श, जब भी आवश्यक हो, सीएबी, पुणे या ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर उचित समझा जाएगा। बैंक के आंतरिक मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एडीसी प्रशिक्षण/कार्यक्रम सीएबी, पुणे या विक्रेता के नामित स्थल पर आयोजित किया जाएगा।

B. एडीसी मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बैच आकार

बैच का आकार आम तौर पर 18 अधिकारियों का हो सकता है। हालांकि, प्रतिभागियों के लिए मूल्यांकनकर्ताओं का अनुपात किसी भी मामले में 1: 3 पर बनाए रखा जाना चाहिए।

C. व्यापक गतिविधियाँ

असाइनमेंट में निम्नलिखित व्यापक गतिविधियां शामिल होंगी:

क) **परियोजना आरंभ करना और योजना बनाना:** कार्य के निर्दिष्ट दायरे को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना योजना को अनुमोदन के लिए बैंक को प्रस्तुत करना। बैंक आवश्यकता पड़ने पर सफल बोलीदाताओं को उसके द्वारा पहचानी गई दक्षताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

ख) **बैंक की पहचान की गई दक्षताओं से परिचित होना:** विक्रेता द्वारा सौंपे गए परियोजना कर्मियों को संरचित तरीके से बैंक की पहचान की गई दक्षताओं के अनुरूप और उन्मुख किया जाना है।

ग) **बैंक के अपने मूल्यांकनकर्ताओं की भागीदारी:** डीसी मॉड्यूल तैनात होने के बाद बैंक अपने स्वयं के अधिकारियों को मूल्यांकनकर्ता के रूप में काम करने के लिए नामित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विक्रेता प्रत्येक निर्धारक के प्रथम पुनरावृत्ति के दौरान पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं को हैंडहोल्डिंग के लिए अपने मूल्यांकनकर्ताओं को तैनात करेगा।

D. डीसी के लिए उपकरण/उपकरण

मूल्यांकन उपकरण नेतृत्व दक्षताओं के एक सेट को मापने के लिए डिज़ाइन किए जाने हैं। इन मूल्यांकन उपकरणों में शामिल होना चाहिए:

1. इन-बास्केट व्यायाम: प्रत्येक के तीन रूपों के साथ संख्या में 10 (दस)
2. नेतृत्वहीन समूह अभ्यास- संख्या में 10 (दस)
3. नेता के नेतृत्व वाले समूह अभ्यास- संख्या में 10 (दस)
4. बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू (बीईआई) के तीन प्रारूपों का सेट:
5. DCW व्यक्तिगत योग्यता रिपोर्ट टेम्पलेट: प्रतिभागी की योग्यता रिपोर्ट विभिन्न नेतृत्व दक्षताओं में उसकी योग्यता रेटिंग को उजागर करती है (सहित

समग्र रेटिंग) व्यवहार साक्ष्य के साथ जैसा कि डीसीडब्ल्यू और उनकी योग्यता-विशिष्ट निष्कर्षों के दौरान देखा गया है।
6. प्रबंधन खेल - संख्या में 3
7. रोल प्ले - संख्या में 3
8. कोई अन्य नया उपकरण जो परामर्श फर्म/कंपनी सुझाना पसंद कर सकती है

E. उपकरणों के चयन के लिए मानदंड

- डीसी के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण प्रत्येक योग्यता के तहत परिकल्पित विभिन्न व्यवहार संकेतकों (बीआई) को कैप्चर करने में सक्षम होना चाहिए।

- डीसी डिजाइन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक अभ्यास को परीक्षण की जाने वाली दक्षताओं में आवश्यक व्यवहार की अभिव्यक्ति के लिए मान्य किया जाएगा।

- रेटिंग के एकीकरण के उद्देश्य से प्रत्येक योग्यता को कम से कम 2 अलग-अलग उपकरणों द्वारा मापने योग्य होना चाहिए।
- विभिन्न उपकरणों को प्रशासित करने के लिए अलग-अलग मामलों को डिज़ाइन करने की आवश्यकता है।

- उपकरण सिद्ध वैधता और विश्वसनीयता के होने चाहिए। माप मानदंड और माप पैमाने का विवरण उपकरणों के साथ उपलब्ध होना चाहिए।

- उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में कई प्रकार होने चाहिए ताकि डीसी में दोहराव वाली सामग्री न हो।

- सभी व्यक्तियों को प्रत्येक दक्षता पर एक से अधिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा कवर किया जाना चाहिए।

- डीसी के अंत में, मूल्यांकनकर्ताओं के बीच योग्यता-वार टिप्पणियों और रेटिंग को एकीकृत किया जाएगा।

- विक्रेता विकास केंद्र अभ्यास के दौरान प्रतिभागियों के मूल्यांकन से संबंधित अंतिम टेम्पलेट्स का विवरण साझा करेगा, अर्थात उपकरण - योग्यता मैट्रिक्स, उपकरण - योग्यता वार मूल्यांकन पत्रक, स्कोरिंग के लिए कार्यप्रणाली, आदि। सफल बोलीदाता बैंक के प्रमुख परियोजना कर्मियों को उपायुक्तों के शुरू होने से पहले मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले संपूर्ण मूल्यांकन ढांचे की ओर भी उन्मुख करेगा।

F. संरचना और वितरण

क) विक्रेता बैंक द्वारा आंतरिक उपयोग के लिए डीसीडब्ल्यू हैंडबुक तैयार करेगा।

RESERVE BANK OF INDIA

बी) डीसी आउटपुट (रिपोर्ट टेम्पलेट) संख्यात्मक प्रारूप के साथ-साथ मौखिक और वर्णनात्मक प्रारूप दोनों होगा जो अभ्यास और साइकोमेट्रिक परीक्षणों से टिप्पणियों को एकीकृत करेगा।

दक्षिणी। नहीं।	गतिविधि	समयरेखा
1	परियोजना की योजना और दीक्षा	अनुबंध देने की तारीख के 30 दिनों के भीतर
2	उपकरण डिजाइन, और व्यवहार संकेतकों के साथ मैनुअल और बीएआरएस की तैयारी	
3	इन-बास्केट अभ्यास की तैयारी	अनुबंध दिए जाने की तारीख के 60 दिनों के भीतर
4	एडीसी मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन	डीसीडब्ल्यू ढांचे और डिजाइन किए गए उपकरणों की स्वीकृति के बाद जब भी बैंक द्वारा आवश्यक हो। हालांकि, बैंक कार्यक्रम के संचालन के लिए पांच दिन का नोटिस देगा।

RESERVE BANK OF INDIA

अनुलग्नक I
ऑनलाइन बोली जमा करने के निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

ई-निविदा की प्रक्रिया

पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है, जो नि:शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी/वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर लगाई जाएगी। विक्रेता के पास तृतीय श्रेणी का साइनिंग टाइप डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए आरबीआई/एमएसटीसी जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी/वित्तीय बोली को ऑनलाइन www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर प्रस्तुत करना होगा

1. विक्रेताओं को खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है

   https://www.mstcecommerce.com/eprocn → ई-प्रोक्योरमेंट →पीएसयू/सरकारी विभाग→

   आरबीआई लोगो का चयन करें- विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना→सबमिट करें।

2. विक्रेताओं को ईमेल के माध्यम से उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

एमएसटीसी लिमिटेड का संपर्क विवरण

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड)

हेल्पडेस्क – लैंडलाइन – 022 22870471/22886266

गूगल हैंगआउट आईडी- (टेक्स्ट चैट के लिए) - mstceproc@gmail.com

सिस्टम आवश्यकताएँ:

RESERVE BANK OF INDIA

a) विंडोज 7 या इसके बाद के संस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम

बी) आईई -7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र।

c) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर

d) नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है

प्रणाली।

सामान्य सेटिंग्स

DSC के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए "संरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए, निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

उपकरण => इंटरनेट विकल्प =>सुरक्षा => संरक्षित मोड अक्षम करें यदि सक्षम किया गया है- यानी "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करते हुए टिक बॉक्स से टिक निकालें।

अन्य सेटिंग

उपकरण => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => सक्रिय करें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं"।

सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और कस्टम स्तर → इंटरनेट विकल्प के → उपकरण के तहत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करें (कृपया पृष्ठ से IE सेटिंग्स www.mstcecommerce.com एक बार चलाएं)

तकनीकी/वित्तीय बोलियां https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन जमा करनी होंगी. निविदाएं निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

निविदा में सभी प्रविष्टियों को बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और मूल्य बोली प्रारूपों में दर्ज किया जाना चाहिए।

लेनदेन शुल्क के लिए विशेष नोट

विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान उत्पन्न करेगा। विक्रेता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि को उसमें परिवर्तन किए बिना प्रेषित करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब

भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है

एक विक्रेता/बोलीदाता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

नोट

क) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे घटना के समापन समय से पहले अग्रिम रूप से लेनदेन शुल्क जमा कर दें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दिया जा सके।

ख) अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में सूचना निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान ही ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय वैध और अद्यतन है।

ग) विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

घ) इस निविदा के लिए नोटिस में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

ई-निविदा में बोली

क) विक्रेता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए लेनदेन शुल्क जमा करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में तकनीकी/वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

ख) जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से केवल अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।

www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट →पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई के तहत लॉगिन करें→मेरा मेनू→ नीलामी फ्लोर मैनेजर→ लाइव इवेंट →लाइव इवेंट का चयन।

ग) विक्रेता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कार्य बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरने होंगे और उन्हें सहेजना होगा। इसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। **यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो विक्रेता तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।**

घ) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना पड़ता है और फिर विक्रेता को अपनी वित्तीय बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सहेजे जाने के बाद, विक्रेता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

ई) विक्रेताओं को दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए "अटैच डॉक बटन" का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

च) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

छ) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक दूसरे के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

ज) ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

झ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली माना जाएगा और आरबीआई द्वारा इसे स्वीकार करने से कार्य के निष्पादन के लिए आरबीआई और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा।

ञ) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ट) भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ठ) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।

ड) किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना उसके द्वारा निविदा के लिए नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।

इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए एमएसटीसी वेबसाइट पर माई मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। प्रत्येक दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए। एक बार पुस्तकालय में दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, बोलीदाता उन्हें निविदा के खिलाफ अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि निविदा से जुड़े दस्तावेज एचआरएमडी, आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार, यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। आगे की सहायता के लिए बोलीदाता गाइड के तहत निर्देशों का पालन करें।

RESERVE BANK OF INDIA

2. बोलीदाता(ओं) को सभी नोटिस और पत्राचार केवल ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे जब तक कि सीएबी, आरबीआई, पुणे के साथ-साथ एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की वैधता सुनिश्चित करें। एक बोलीदाता को केवल एक वैध डीएससी के लिए पंजीकरण करना चाहिए।

3. आरबीआई ऑनलाइन निविदा जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय आरएफपी को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कृपया नोट करें कि अनुरोध पत्र में उल्लिखित एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट से आरएफपी/निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले पाटयों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है।

4. आरएफपी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

5. **ई-निविदा में बोली**

क) बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर अग्रिम रूप से लॉग इन करना चाहिए ताकि समय पर बोली प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी विलंब के लिए जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी।

ख) बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा प्रक्रिया में भागीदारी के लिए एमएसटीसी लिमिटेड को आवश्यक गैर-वापसी योग्य लेनदेन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

ग) इस प्रक्रिया में तकनीकी के साथ-साथ वाणिज्यिक बोलियां प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाना शामिल है।

घ) केवल वे बोलीदाता जिन्होंने लेनदेन शुल्क का भुगतान किया है, एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com -ई-प्रोक्योरमेंट→ पीएसयू / सरकारी विभाग→आरबीआई लॉगिन→ मेरा मेनू→नीलामी फ्लोर मैनेजर→लाइव इवेंट→ तकनीकी बोली का चयन → तकनीकी बोली पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।

ई) बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपने स्वयं के ईमेल आईडी और पासवर्ड का अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए।

च) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता सख्त गुमनामी सुनिश्चित करेंगे।

छ) ई-निविदा फ्लोर इस आरएफपी में निर्धारित अवधि के लिए खुला रहेगा।

ज) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान वैध डीएससी का उपयोग करके प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। बोलीदाता द्वारा बोली लगाई गई और सीएबी, पुणे द्वारा स्वीकार की गई बोली भारतीय रिजर्व बैंक और बोलीदाता के बीच बाध्यकारी संविदा बनाएगी। सफल बोलीदाता को विक्रेता के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

i) डीएससी के बिना प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ञ) बैंक के पास कोई कारण बताए बिना और प्रभावित उत्तरदाता(ओं) के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न किए बिना या प्रभावित उत्तरदाता(ओं) के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न किए बिना अथवा ऐसे निर्णय के आधारों के बारे में प्रभावित उत्तरदाता(ओं) को सूचित करने की बाध्यता के बिना पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

k) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। बोली प्रस्तुत करना निविदा के नियमों और शर्तों की निहित स्वीकृति है। माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा मंजिल में इंगित की गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा तल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

6. चयनित बोलीदाता को इस निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार शासित किया जाएगा।

7. तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों से कोई विचलन की अनुमति नहीं है।

8. ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9. बोलीदाताओं को आरएफपी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इस प्रकार अपलोड किए गए और आरएफपी के तहत आवश्यक नहीं किसी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. भरते हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

11. बोलीदाता (ओं) द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई सूचना व्लाठी पाई जाती है तो ऐसे चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

RESERVE BANK OF INDIA

अनुलग्नक II: तकनीकी मूल्यांकन मैट्रिक्स

क्रमांक	Criteria	Marks Eligible	Marks Awarded	Maximum Marks
1	**Consulting Firm's/Company's relevant experience in conducting ADCs for its clients (in years)**			
	Less than one year	0		
	1- 3 years	5		15
	More than 3-7 years	10		
	More than 7 years	15		
2	**Consulting Firm's/Company's average Turnover in the last 3 Financial Years**			
	Less than 2 Crore	2		
	Between 2-5 Crore	5		10
	5 Crore and above	10		
3	**No. of ADC Training /Certification Programs conducted by the Consulting Firm/Company in the last 3 Financial Years**			
	1-3	5		10
	More than 3	10		
4	**No. of ADC clients (Clients for whom the Consulting Firm/Company has conducted ADC in the last 3 Financial Years)**			
	1-3 clients	2		
	4-7 clients	5		10
	More than 7	10		
5	**Number of ADC clients (Clients for whom the Consulting Firm/Company has conducted ADC with project value of not less than Rs. 35 lakhs for conducting ADC in a given Financial year**			
	1-3	2		10
	4-6 clients	5		
	7 and more clients	10		
6	**Average experience of the Vendor's six Aassessors being suggested for the project (Ref: C(2) on page 20)**			
	Upto 5 years	2		5
	more than 5 years	5		
7	**Number of tools designed in the last three years**			10
	1-3	2		
	4-6	5		
	More than 6	10		
8	**Approach and Methodology**			**30**

	Vendor Approach and Methodology to perform the assignment / job based on the TOR Mark to be allotted by BANK's evaluation committee / team on the basis of presentation made by the BIDDER on the following parameters: i. Organisation and staffing including suitability of the assessors for the project. ii. Proposed methodology to be adopted in developing the assessment tools. iii. format of templates provided for the project iv. any new tools suggested by the bidder v. Differentiators of the BIDDER concerned			
	Total			**100**

For S. No. 3 above – different programmes would be counted (for same/different clients). Proof needs to be submitted.

For S. Nos 4 and 5 above, Clients would mean different organisations/institutes. Different programs conducted for the same organisation (even if for different departments/ different offices/different target groups/different scope/different time period etc.) would not be taken as different clients.

RESERVE BANK OF INDIA

अनुलग्नक III

तकनीकी मूल्यांकन के उद्देश्य से जानकारी की आपूर्ति के लिए प्रारूप

S. No.	Criteria	Information to be Furnished by Bidder
1	**Consulting Firm's/Company's relevant experience in conducting ADCs for its clients (in years)Vendor**	
2	**Consulting Firm's/Company's average Turnover in the last 3 Financial Years from April 1, 2021 to March 31, 2024Vendor**	
3	**Number of ADC contracts executed by the Vendor(including online) during last three years from April 1, 2021 to March 31, 2024**	
4	**No. of ADC clients (Clients for whom the Consulting Firm/Company has conducted ADC in the last 3 Financial Years) from April 1, 2021 to March 31, 2024**	
5	**Number of ADC clients (Clients for whom the Consulting Firm/Company has conducted ADC with project value of not less than Rs. 35 lakhs for conducting ADC in a given Financial year (April 1, 2023 – March 31 2024)**	
6	**Average experience of the six assessors being suggested for the project (Ref: C(2) on page 20)**	
7	**Number of tools designed in the last three years from April 1, 2021 to March 31, 2024**	
8	**Approach and Methodology** **Details to be given separately before making presentation to the Committee.**	

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 5 के लिए जानकारी सीए के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होगी। एस नंबर 6 के लिए जानकारी प्रत्येक पहचाने गए मूल्यांकनकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र और / या किए गए जल्द से जल्द मूल्यांकन के प्रमाण द्वारा समर्थित होगी। उपरोक्त क्रम संख्या 7 के लिए जानकारी ग्राहकों के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होगी।

RESERVE BANK OF INDIA

अनुबंध IV
विक्रेता के लिए वाणिज्यिक/वित्तीय कोटेशन

Item	Amount (Rs.)
Fixed Component: Professional fees inclusive of all expenses	
Variable Component: Cost of providing services of Assessor per DCW ------/- * 12 = @	
Total Amount Quoted # (The amount quoted is exclusive of any tax, whatsoever)	

@ For fixing rate and evaluation of tender. Actual payment will be based on services utilised.

Will be considered for arriving at bidder ranking.

RESERVE BANK OF INDIA

अनुलग्नक V

मूल्यांकन की नमूना गणना (संदर्भ 13 और अनुलग्नक II और IV)

S No.	Particulars	Maximum Score	Vendor A Score		Vendor B Score		Vendor C Score		Vendor D Score		Vendor E Score		Vendor F Score		Vendor G Score
1	**Technical Bid (Parameter Sr. No. 1-7) Score obtained by bidders**	**70**	**50**		**55**		**25**		**60**		**35**		**30**		**50**
	All scoring **35 or more** above will be invited to make a presentation to the Committee and only their Commercial bid will be considered. .						not qualified						not qualified		
2	**Parameter: Approach and Methodology**														
	Mark to be allotted by BANK's evaluation committee/team on the basis of presentation made by the BIDDER	30	25		20		NA		5		20		NA		20
	Technical Bid Total Marks obtained		75		75		NA		65		55		NA		70
3	Commercial Bid (Total Amount Quoted)		2500000		3000000				3000000		2800000				**2400000**
	Financial score		28.8		24				24		25.7				30
	70% of technical bid score		52.5		52.5				45.5		38.5				49
	Total Score		81.3		76.5				69.5		64.2				79
	Rank		**1st**		**3rd**				**4th**		**5th**				**2nd**

Note: In case of a tie in total score, Vendor scoring higher in technical score will be placed higher

RESERVE BANK OF INDIA

अनुलग्नक VI

FORM OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE

(On Non-Judicial Stamp Paper of appropriate value)

This deed of guarantee made this day of_____ between Bank of_____ (hereinafter called the "Bank") of the one part, and Reserve Bank of India, (hereinafter called "RBI") of the other part

Whereas RBI, has awarded the Contract for ----------(Name of the Project)…… ----------
for Reserve Bank of India (hereinafter called the "Contract") to _____ (Name of the contractor) _____ (hereinafter called the "Contractor").

AND WHEREAS the contractor is bound by the said Contract to submit to RBI a Performance Security for a total amount of Rs._____ (Rupees___ _____ only) (Amount in figures and words).

1. Now we the undersigned_____ _____(Name of the Bank) being fully authorized to sign and to incur obligations for and on behalf of and in the name of_____ _____(Full name of Bank), hereby declare that the said Bank will guarantee RBI the full amount of Rs._____ (Rupees ____ _____ only (Amount in figures and Words) as stated above.

2. After the Contractor has signed the aforementioned Contract with RBI, the Bank is engaged to pay RBI, any amount up to and inclusive of the aforementioned full amount upon written order from RBI to indemnify RBI for any liability of damage resulting from any defects or shortcomings of the Contractor or the debts he may have incurred to any parties involved in the works under the Contract mentioned above, whether these defects or shortcomings or debts are actual or estimated or expected. The Bank will deliver the money required by RBI immediately on demand without delay without reference to the Contractor and without the necessity of a previous notice or of judicial or administrative procedures and without it being necessary to prove to the Bank the liability or damages resulting from any defects or shortcomings or debts of the contractor. The Bank shall pay to RBI any money so demanded notwithstanding any dispute/disputes raised by the Contractor in any suit or proceedings pending before any Court, Tribunal or Arbitrator/s relating thereto and the liability under this guarantee shall be absolute and unequivocal.

RESERVE BANK OF INDIA

3. This guarantee is valid till _____ (date to be mentioned) (date of end of DLP) or the extended period, thereof)
4. At any time during the period in which this guarantee is still valid, if RBI agrees to grant a time extension to the Contractor or if the Contractor fails to complete the Works within the time of completion as stated in the Contract, or fails to discharge himself of the liability or damages or debts as stated under Para Numbered 2above, it is understood that the Bank will extend this Guarantee under the same terms and conditions for the required time on

   demand by RBI and at the cost of the contractor.
5. The guarantee hereinbefore contained shall not be affected by any change in the Constitution of the Bank or of the contractor.
6. The neglect or forbearance of RBI in enforcement of payment of any moneys, the payment whereof is intended to be hereby secured or the giving of time by RBI for the payment hereof shall in no way relieve the bank of their liability under this deed.
7. The expressions "RBI", "the Bank" and "the Contractor" hereinbefore used shall include their respective successors and assigns.

In witness whereof I/We of the Bank have signed and sealed this guarantee on the ---------- day of ---------- (Month) **2025** being herewith duly authorized.

For and on behalf of
The…….Bank.

Signature of authorized Bank official

Name: ……

Designation: ……

Stamp/Seal of the
Bank:

……

Signed, sealed and delivered for and on behalf of the Bank by the above named_____in the presence of :

WITNESS-1 WITNESS-II

Name: …….. Name: ……..

Address: ……. Address:……

Signature: ……. Signature: …….